


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ


सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	योग	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	सिंचाई विभाग	श्री सजय कुमार अधीक्षण अभियन्ता प्र०सु०प्र० सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	-	-	-	55	53	53	00	00	00

  
 07.8.2018  
 अधीक्षण अभियन्ता एवं  
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०  
 3/9/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०स०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलये पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलये पत्र	कुल विचाराधीन अपीलये पत्र	माह में निस्तारित अपीलये पत्र	अवशेष		योग	
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	सिंचाई विभाग	श्री डी०के० मिश्रा मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	01	01	02	17	19	वर्तमान के पूर्व के अवशेष-01 योग- 11	10	07	01	08

  
 09.08.2018  
 अधीक्षण अभियन्ता एवं  
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०  
 01/8/18

27/07/2018

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक-प्राधिकरण में नामित सूचना अधिकारियों पर अज्ञान अतिरिक्त शक्ति (अज्ञान) का निर्माण के माध्यम से सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिवाई विभाग द्वारा प्रेषित लखनऊ

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड चार्ज किया गया	दण्ड चार्ज करने का दिनांक	दण्ड के विहित धरणीय रुपये	चार्ज दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा चरुल की गई धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा ज्ञान सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की विधि (यदि कोई हो)	चार्ज दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	संशुद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिवाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	वाच संख्या- एस 8/684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्र सं- 90-109/100 1 सं- 11 पत्रांक-1587 / दिनांक 12-10-12 एस पत्रांक 1120 / / 90सु090/ दिनांक 28.13 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन) को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सी-15/एकेएसआरई/दिनांक 15.5.2013 का पत्रांक नि-1584/सोन/दिनांक 13.6.13 के माध्यम से उक्त अतिरिक्त अर्थव्यय नाम किया जाने हेतु मांग राज्य सूचना अधिनियम के अंतर्गत किया गया है । इस कार्यालय के पत्रांक-1318/प्र.सू.प्र/दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक-1664/प्र.सू.प्र/दिनांक 07.08 2013 पत्रांक 286/प्र.सू.प्र/दिनांक 5.3.2014 पत्रांक 1305/प्र.सू.प्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 232/प्र.सू.प्र/दिनांक 19.11 के माध्यम से सूचना अधिकारी सिवाई विभाग में किया गया है ।
2	सिवाई विभाग	अविनाश अभियन्ता प्रमुख	वाच संख्या- एस 8/684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्र सं- 90-109/100 1 सं- 11 पत्रांक-1587 / दिनांक 12-10-12 एस पत्रांक 1120 / / 90सु090/ दिनांक 28.13 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन) को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सी-15/एकेएसआरई/दिनांक 15.5.2013 का पत्रांक नि-1584/सोन/दिनांक 13.6.13 के माध्यम से उक्त अतिरिक्त अर्थव्यय नाम किया जाने हेतु मांग राज्य सूचना अधिनियम के अंतर्गत किया गया है । इस कार्यालय के पत्रांक-1318/प्र.सू.प्र/दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक-1664/प्र.सू.प्र/दिनांक 07.08 2013 पत्रांक 286/प्र.सू.प्र/दिनांक 5.3.2014 पत्रांक 1305/प्र.सू.प्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 232/प्र.सू.प्र/दिनांक 19.11 के माध्यम से सूचना अधिकारी सिवाई विभाग में किया गया है ।

3	तदैव	अधिसारी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	वाच संख्या एस/ 2705 दिनांक 10.06.11	25000.00		<p>2010/पत्रांक/ 403/प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.14 पत्रांक 111/ प्रसुप्र/ दिनांक 8.3.2014 पत्रांक 1349/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 241/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।</p> <p>इस कार्यालय के पत्रांक-593/ प्रसुप्र/ दि. 28.2 12 पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10 12 पत्रांक 352/ दि. 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/ दिनांक 27.2.13, पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/ प्रसुप्र/ दिनांक 10 6.13, पत्रांक 1319/ प्रसुप्र/ दिनांक 01.07 2013 पत्रांक 1565/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08 2013 पत्रांक 1784/ प्रसुप्र/ दिनांक 18 सितम्बर, 2013, पत्रांक 308/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3 2014, पत्रांक-1352/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।</p>
4	तदैव	अधिसारी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	वाच संख्या एस/ 653/ / सी/ 09 दिनांक 03.10.12	25000.00		<p>इस कार्यालय के पत्रांक-593/ प्रसुप्र/ दि. 28.2 12 पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10 12 पत्रांक 352/ दि. 15.2.13, पत्रांक 440/ / प्रसुप्र/ दिनांक 27.2.13 एवं पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/ प्रसुप्र/ दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319/ प्रसुप्र/ दिनांक 01.07.2013, पत्रांक 1565/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।</p>
5	तदैव	अधिसारी अभियन्ता सिंवाई खण्ड- 48 म/गोखले फतेहपुर	वाच संख्या एस/ 719 / सी/ 10 दिनांक 18.04.12	25000.00		<p>अधिसारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 17/ फतेहपुर- 49/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.1.13 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त खण्ड की संपत्ति हेतु दिनांक 1.11.12 के माध्यम से मा. अंतर्गत में अधीन की गयी है एवं इस कार्यवाही के पत्रांक 826/ प्रसुप्र/ दिनांक 22.4 13, पत्रांक 1129/ प्रसुप्र/ दिनांक 2.6.13 पत्रांक 1131/ प्रसुप्र/ दिनांक 03.07.2013 पत्रांक 1570/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013</p>

6	तदीय	श्री बी०पी० सिंह अधिवक्ता अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर	वाद संख्या एस 4-687 / सी / 11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा दण्ड स्थगित।	(1005/प्रसुप्र/दिनांक 01.01.2014, 1005/प्रसुप्र/दिनांक 01.01.2014, पत्रांक 1356/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14, एच-पत्रांक 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अंशतः स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अधिवक्ता अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर कोइस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.8.12, 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12, पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1333/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सि०वि० गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक:3316/मु०अ०ग०/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
7	तदीय	श्री आर पी गौतम अधिवक्ता अभियन्ता सिंचाई खंड हाथरस	वाद संख्या एस 10 -2017/सी/11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल	अधीक्षक अभियन्ता सिंचाई कार्य गण्डक मथुरा द्वारा अपने कार्यालय जाप सं०-2547/सि०काम/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरोपित धनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिवक्ता अभियन्ता के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त धनराशि को राजकोश में जमा करके रसीद की छायाप्रति धारण एवं इसे कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।
8	तदीय	श्री राजाराम अधीक्षक अधिवक्ता अभियन्ता कुंभ काठ प्रखण्ड बौदा	वाद संख्या एस 4 20/ सी / 11, दिनांक 17.05.12	25000.00		अधीक्षक अभियन्ता कुंभ काठ प्रखण्ड बौदा को इस कार्यालय के पत्रांक:1121 /प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, एवं पत्रांक 1336/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 1353/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.2014, पत्रांक 1357/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.2014, पत्रांक 1358/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2014 एवं पत्रांक 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अंशतः स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

9	तद्वैय	श्री आरत वैठरिंक अधिकाारी अभियन्ता सिचाई खण्ड प्रथम बलिया	वाप संख्या- एस 4-489/ सी/11 दिनांक	25000.00	वेण्ट वसूल  (रसीद अप्राप्त)		निर्दिष्ट किया गया है। अधिकाारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 30/दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से दण्ड माफी हेतु मांग राज्य गुण्य आयोग के समक्ष अपील की गयी है। अधिकाारी अभियन्ता सिचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर को इस कार्यालय पत्रांक-177/प्रसुप्र/दिनांक 22.01.13 एवं पत्रांक-441/प्रसुप्र/दिनांक 27.02.13, पत्रांक 1119/ प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक-1330/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली की रसीद की प्रमाणित प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। (दण्ड वसूल)
10	तद्वैय	अधिकाारी अभियन्ता सिचाई खण्ड प्रथम बलिया	वाप संख्या- एस 4- 1429/ सी/11 दिनांक 13.6.12	25000.00			अधिकाारी अभियन्ता सिचाई खण्ड प्रथम बलिया को इस कार्यालय के पत्रांक: 23/प्रसुप्र/दिनांक 4.1.12 पत्रांक 1133/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1328/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013, पत्रांक-1567/प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, 107/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक-1355/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 234/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
11	तद्वैय	अधिकाारी अभियन्ता वारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद।	वाप सं.एस-7/ 362/सी/10	25000.00	वाप पुनर्स्थापित		इस कार्यालय के पत्रांक-1571/प्रसुप्र/दिनांक 8.8.2013, पत्रांक 1782/प्रसुप्र/दिनांक 18.9.2013 एवं पत्रांक-1351/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 240/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया गया है अधिकाारी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु मांग आयोग के समक्ष दिनांक 11.8.2013 को प्रत्येक प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई 24.10.13 को तैयारी की प्रत्यत स्थिति की सूचना प्रती तक अप्राप्त है।
12	तद्वैय	अधिकाारी अभियन्ता लोहर खण्ड प्रथम बलिया	वाप सं.एस 6/ 1493/सी/10	25000.00			इस कार्यालय के पत्रांक-1571/प्रसुप्र/दिनांक 8.8.2013 पत्रांक 1751/प्रसुप्र/ दिनांक 18.9.2013 पत्रांक 988/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 एवं पत्रांक 1484/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया गया है अधिकाारी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु मांग आयोग के समक्ष दिनांक 11.8.2013 को प्रत्येक प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई 24.10.13 को तैयारी की प्रत्यत स्थिति की सूचना प्रती तक अप्राप्त है।

13	नटें	श्री. मुन्ना रिश अधीक्षण अभियन्ता (निर्वाचित) सम्बन्ध मुख्य अभियन्ता (पारिवर्तन)	बाल/सं.एस. 3/ 1188/सी/11	25000.00		
----	------	--	-----------------------------	----------	--	--

प्रमाण के तुरन्त विचार प्राप्त है कि मा.सू. में  
सूचना अधिनियम के अन्तर्गत 2017 के एक  
पत्र की मुसवादे की जायगी।  
इस सम्बन्ध में पत्राचार/प्रत्युत्तर दिनांक  
2018 के माध्यम से प्राप्त होना/प्रस्तुत सिद्ध  
हो पत्र लिखा गया है।

  
 9-8-2018  
 अधीक्षण अभियन्ता एवं  
 ज.सू.ना. अधिकारी  
  
 9/8/18